<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

आई.आई.टी. दिल्ली की तरफ से दस राज्यों में 5 ग्रामीण विकास योजनाओं पर फोकस करते हुए एक सर्वे किया जा रहा है। जिसमें झारखंड के दो जिले 'दुमका' और 'लातेहार' शामिल हैं।

पिछले 27 मई से लेकर 4 जून तक गोपीकांदर प्रखंड के चार गांव क्रमशः गोपीकांदर, खैरीबाड़ी, धुंधापहाड़ी, कारुडीह में सर्वे का काम किया गया। इन चारों गांवों में लगभग सौ से ज्यादा परिवारों का सर्वे किया गया। इन चारों गांवों में 100 पेंशनधारियों एवं ग्रामीणों के साथ बयान एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। इस सम्बंध में पाई गई अनियमितताएं नीचे बिंदुवार दी जा रही है -

नरेगा से संबंधित अनियमितताएं:

1. इन चारों चारों गांवों (गोपीकांदर, खैरीबाड़ी, धुंधापहाड़ी, कारुडीह) में 2009-10 के बाद बहुत ही कम काम किया गया है और कुछ गांवों में तो 2009-10 के बाद तो काम ही नहीं खुला है।
2. मजदूरों को दिए गए जॉब कार्ड और ई जॉब कार्ड मे कई अंतर देखने को मिले। ई जॉब कार्ड में दिए गए नाम, मानव दिवस और मजदूरी मजदूरों के जॉब कार्ड में दिए गए नामों, मानव दिवसों, और मजदूरी से मेल नहीं खाते। इन नामों का उस परिवार से कोई सम्बंध नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि फर्जी नाम से मानव दिवस दिखाकर रुपए की निकासी की गई है।
3. गोपीकांदर गांव में 9 मजदूर ऐसे मिले जिनका ई जॉब कार्ड तो बना हुआ है लेकिन ना तो उनके पास जॉब कार्ड थे और न ही उन्हें इसकी कोई जानकारी थी। 4 ऐसे मजदूर मिले जिन्होंने बताया कि उनके जॉब कार्ड ठेकेदार ने रखे हुए हैं। 7 मजदूर ऐसे थे जिन्होंने 2 साल पहले कार्ड के नवीनीकरण के लिए प्रखंड कार्यालय में जमा किया था जो अभी तक उन्हें नहीं मिला है और 4 मजदूर ऐसे मिले जिनके कार्ड की समय सीमा 4 साल पहले खत्म हो चुकी थी।
4. मनरेगा कानून के मुताबिक 2008 के बाद मजदूरी का भुगतान बैंक या पोस्ट ऑफिस से होना चाहिए था लेकिन सर्वे के दौरान एक भी ऐसा परिवार नहीं मिला जिसे बैंक या पोस्ट ऑफिस से भुगतान किया गया हो। इन सभी को नकद भुगतान किया गया था।
5. मनरेगा में ठेकेदारों पर सख्त प्रतिबंध होने के बावजूद हर स्तर पर यानी पंजीयन से लेकर भुगतान तक में ठेकेदारों की अनिवार्य मौजूदगी बनी रही है।
6. इन चारों ही गांवों में लोगों को मनरेगा के प्रावधानों जैसे जॉब कार्ड पंजीयन, काम का अधिकार, मनरेगा मजदूरी, बैंक द्वारा भुगतान, बेरोजगारी भत्ता आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

जनवितरण प्रणाली से संबंधित अनियमितताएं:

1. झारखंड में बीपीएल प्रबंधन के अनुसार प्रत्येक बीपीएल कार्डधारी को 35 किलो अनाज मिलना चाहिए जबकि गोपीकांदर प्रखंड के इन चारों गावों क्रमशः गोपीकांदर में 31 किलो, खैरीबाड़ी में 30 किलो, धुंधापहाड़ी में 30 किलो और कारुडीह में 25 किलो ही अनाज मिल रहा है।
2. बीपीएल कार्डधारियों की संख्या के अनुरूप अनाज का आबंटन नहीं किया जा रहा है। उदारहरण स्वरूप गांव धुंधापहाड़ी के राशन डीलर के दस्तावेज के अनुसार गांव में बीपीएल कार्डधारियों की संख्या 162 है जबकि राशन 149 कार्डधारियों के नाम ही आ रहा है।
3. राशन की दुकान की व्यवस्था के सम्बंध में लगभग हर एक गांव की स्थिति एक जैसी दिखी। उदाहरण के तौर पर धुंधापहाड़ी गांव की राशन की दुकान में सूचना पट्ट व रिकार्ड अपूर्ण पाए गए, राशन वितरण महीने में निर्धारित दो दिन ही किया जाता है, दूसरे दिन जाने पर राशन नहीं मिलता है। इन सभी गांवों में राशन कार्ड की स्थिति बेहद खराब है, फट जाने या भर जाने पर नए राशन कार्ड के बजाए एक पतली सी बच्चों के लिखने वाली कॉपी पकड़ा दी जाती है और इसी में डीलर राशन की एंट्री करता है।

सामाजिक सुरक्षा वृद्धा/विधवा पेशन योजना की स्थिति:

1. आवेदन भरने व जमा करने व पेंशन की सूचना देने की व्यवस्था के आभाव के कारण दलालों की मौजूदगी बनी रहती है जैसे धुंधापहाड़ी में पाया गया कि दलाल प्रति पेंशनाधारियों से 20 से 30 रुपए ले रहे हैं। यहां तक कि गोपीकांदर और खेरीबाड़ी गांव के पेंशनधारियों से पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी 30 से 50 तक वसूल रहे हैं।
2. प्रत्येक गावों में कभी एक महीना कभी दो महीना देरी से भुगतान हो रहा है।
3. भुगतान की कोई निश्चित तारीख न होने के कारण पेंशनधारियों को दलालों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह दलाल पेंशनधारियों को पेंशन आने की सूचना देने व उनके विदड्रॉअल फार्म भरने के 20 से 30 रूपए ले लेते हैं। जबकि नियमानुसार हर महीने के 7 तारीख को पेंशनधारियों को पेंशन मिल जानी चाहिए।
4. सभी गांवों में कुछ ऐसे पेंशनधारी मिले जिनका नाम पेंशनसूची में होने के बावजूद उनको पेंशन नहीं मिल रहा है।
5. पेंशनसूची का नवीनीकरण नहीं होने के कारण कई मृत व्यक्तियों का नाम भी इस सूची में शामिल हैं।
6. इन सभी गावों में कई ऐसे वृद्ध या विधवा मिली जिनको कि पेंशन मिलनी चाहिए थी लेकिन उनका नाम सूची में शामिल नहीं है और कुछ ऐसे विधवा या वृद्ध व्यक्ति मिले जिन्हें आवेदन किए हुए 2 साल से ज्यादा समय हो गया है लेकिन अभी तक उनकी पेंशन स्वीकृत नहीं हुई है।

मध्यान भोजन की स्थिति:

1. दूसरी योजानाओं की तुलना में मध्यान भोजन नियमित रूप से बटं रहा था। परंतु मीनू के मुतबिक भोजन नहीं मिल रहा था जिसमें अंडे का होना बेहद जरूरी है लेकिन कहीं भी यह देखने को नहीं मिला और भोजन की गुण्वत्ता में भी कमी है।
2. गोपीकांदर में प्रधानाध्यापक के दस्तावेज़ों के मुताबिक मध्यान भोजन की राशि काफी दिनों से नहीं मिली हैं और हाल तक वह अपने निजी खर्चे से मध्यान भोजन चला रहे हैं ।

समेकित बाल विकास परियोजना

1. कारुडीह में आंगनवाड़ी भवन की स्थिति दयनीय है। भवन निर्माण का आवेदन 2012 में दिया गया था परंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस स्थिति में अनाज आंगनवाड़ी सेविका के घर पर रखा जाता है और बच्चे बाहर पढ़ने को मजबूर हैं।
2. धुंधापहाड़ी गांव में महीने में केवल एक बार सूखा राशन देने के लिए खुलता है। सर्वे के दौरान सभी परिवारों ने बताया कि अभी तक बच्चों को एक भी बार पका हुआ खाना नहीं मिला है।

8 दिन तक चले इस सर्वे के परिणामों को टीम ने उपायुक्त दुमका, जिला आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ साझा किया। जिसमें उन्होंने बीपीएल की नई व पुरानी सूची के कारण हो रही समस्याओं को स्वीकार किया और बाकी मुद्दों पर जांच का आश्वासन दिया।

आइ. आइ. टी. दिल्ली सर्वे तीम का सम्पर्क नम्बर: 09871832323, 09905132431, 08809355331